

फर्द अहकाम

(नियम 26)

11/PI

जिला मजिस्ट्रेट

मुकाम

दोंड

इंजीनियरिंग कॉलेज

बनाम

श्रीमति जेविनी देवी पति रामनिकम

महाराष्ट्र

श.पत्र

नं.

57

सन्

20/18

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुक्म की तामील
में जारी हुए

प्रार्थना - पत्र भी दिवस लखनऊ शब्दकल दाश
पेश किया गया। प्रार्थना - पत्र समाप्त
अपारह है। यकी किया जाने। अपाधी को
सुनवाई हेड हल्व किया जाकर पत्रावली
दिनांक 25-10-18 को पेश है।

जिला कलेक्टर
दोंड

अभिजावक प्रार्थी उज-1 नोरीक सम्मान
अपक लगीर जल्ल दूग है। आज P.O. का
मीटिंग में अजनेर पछादे है। पत्रावली
दिनांक 24-10-18 को पेश है।

अभिजावक प्रार्थी उज-1 नोरीक सम्मान
पेश करने की दियार दी गई। नोरीक
पेश होने पर हल्वी अपाधी की जाकर
पत्रावली दिनांक 12-11-18 को पेश है।

जिला कलेक्टर
दोंड

अभिजावक प्रार्थी उज-1 अपाधीकी कोर
के की अजनेर कावलीकर हेड - ने पत्रावली
पेश कर जाव हेड अकरर यार। पत्र
जाव व वरक पत्रावली दिनांक 19-11-18
को पेश है।

जिला कलेक्टर

19/18

अभिजातक प्रार्थी उप। अप्रार्थी के अभिजातक अनुपासीत ही। प्रा-पत्र पर अभिजातक प्रार्थी की एकतरफा बहस सुनी गई। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 16(1) भारतीय रैलीग्राम अधिनियम का अवलोकन किया गया। प्रकरण -याथालय में चलने योग्य नहीं है प्रकरण में प्रशासनिक स्तर पर कार्यवाही की जानी है। अतः प्रकरण इसी स्तर पर निरस्तित किया जाना है। पुलिस अधीक्षक टोक के प्रार्थना पत्र के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही हो प्र किया जावे। परापत्ती निवेदन शम्भार टोक पर दाखिल कराए है।

जाति के नाम
पत्र के माध्यम
जाति के नाम
प्रति निवेदन

जिला कलेक्टर
लोक

विभागात्मक लक्षित / 13 दिनांक 19/11/18
विभागात्मक लक्षित / 13 दिनांक 19/11/18

विभागात्मक लक्षित / 13 दिनांक 19/11/18
विभागात्मक लक्षित / 13 दिनांक 19/11/18

विभागात्मक लक्षित / 13 दिनांक 19/11/18
विभागात्मक लक्षित / 13 दिनांक 19/11/18

विभागात्मक लक्षित / 13 दिनांक 19/11/18